

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संचिका सं०- 02/भू0अ0नि0 (3) योजना- (आवंटन)-01/2024.12769

प्रेषक,

जय सिंह, मा० प्र० से०
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बन्दोबस्त पदाधिकारी,

अररिया / अरवल / बाँका / बेगूसराय / जमुई / जहानाबाद / कटिहार / खगड़िया /
किशनगंज / लखीसराय / मधेपुरा / मुंगेर / नालन्दा / पूर्णियाँ / सहरसा / शेखपुरा /
शिवहर / सीतामढ़ी / सुपौल / पश्चिम चम्पारण (बेतिया) / सारण / सिवान /
गोपालगंज / बक्सर / भोजपुर / भभुआ (कैमुर) / औरंगाबाद / रोहतास /
नवादा / पटना / दरभंगा / समस्तीपुर / मधुबनी / पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी) /
वैशाली / मुजफ्फरपुर / गया / भागलपुर।

पटना दिनांक :- 17/07/2024

विषय :- मुख्य शीर्ष- 2029-भू-राजस्व-उप मुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष 102- सर्वेक्षण तथा
बन्दोबस्त कार्य - उप शीर्ष -0101- सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के
अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में निधि का आवंटन।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य
अन्तर्गत बन्दोबस्त कार्यालयों में नवनियोजित होकर योगदान देने वाले 7057 विशेष सर्वेक्षण अमीनों
को सर्वे कार्य में प्रयुक्त होने वाले आवश्यक उपकरण आदि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विषय
शीर्ष - मशीने उपस्कर, ईकाई कोड- 52 01 से प्रति अमीन 3,500/- (तीन हजार पाँच सौ)
रुपये मात्र की दर से वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2,46,99,500/- (दो करोड़ छियालीस लाख
निम्नानवें हजार पाँच सौ) रुपये मात्र का आवंटन निम्नानुसार निर्गत किया जाता है :-

क्र० स०	कार्यालय का नाम	विशेष सर्वेक्षण अमीनों की संख्या	प्रति अमीन 3,500/- (तीन हजार पाँच सौ) के दर से	कुल राशि (3x4)
1	2	3	4	5
1	बन्दोबस्त कार्यालय, अररिया	117	3500	409500
2	बन्दोबस्त कार्यालय, अरवल	57	3500	199500
3	बन्दोबस्त कार्यालय, बाँका	344	3500	1204000
4	बन्दोबस्त कार्यालय, बेगूसराय	157	3500	549500
5	बन्दोबस्त कार्यालय, जमुई	213	3500	745500
6	बन्दोबस्त कार्यालय, जहानाबाद	72	3500	252000
7	बन्दोबस्त कार्यालय, कटिहार	244	3500	854000

क्र० स०	कार्यालय का नाम	विशेष सर्वेक्षण अमीनों की संख्या	प्रति अमीन 3,500/- (तीन हजार पाँच सौ) के दर से	कुल राशि (3x4)
1	2	3	4	5
8	बन्दोबस्त कार्यालय, खगड़िया	30	3500	105000
9	बन्दोबस्त कार्यालय, किशनगंज	83	3500	290500
10	बन्दोबस्त कार्यालय, लखीसराय	47	3500	164500
11	बन्दोबस्त कार्यालय, मधेपुरा	35	3500	122500
12	बन्दोबस्त कार्यालय, मुंगेर	108	3500	378000
13	बन्दोबस्त कार्यालय, नालन्दा	142	3500	497000
14	बन्दोबस्त कार्यालय, पूर्णियाँ	193	3500	675500
15	बन्दोबस्त कार्यालय, सहरसा	46	3500	161000
16	बन्दोबस्त कार्यालय, शेखपुरा	41	3500	143500
17	बन्दोबस्त कार्यालय, शिवहर	15	3500	52500
18	बन्दोबस्त कार्यालय, सीतामढ़ी	89	3500	311500
19	बन्दोबस्त कार्यालय, सुपौल	47	3500	164500
20	बन्दोबस्त कार्यालय, पश्चिम चम्पारण	219	3500	766500
21	बन्दोबस्त कार्यालय, सारण	307	3500	1074500
22	बन्दोबस्त कार्यालय, सिवान	240	3500	840000
23	बन्दोबस्त कार्यालय, गोपालगंज	231	3500	808500
24	बन्दोबस्त कार्यालय, बक्सर	192	3500	672000
25	बन्दोबस्त कार्यालय, भोजपुर	206	3500	721000
26	बन्दोबस्त कार्यालय, भभुआ (कैमूर)	272	3500	952000
27	बन्दोबस्त कार्यालय, औरंगाबाद	297	3500	1039500
28	बन्दोबस्त कार्यालय, रोहतास	361	3500	1263500
29	बन्दोबस्त कार्यालय, नवादा	181	3500	633500
30	बन्दोबस्त कार्यालय, पटना	275	3500	962500
31	बन्दोबस्त कार्यालय, दरभंगा	228	3500	798000
32	बन्दोबस्त कार्यालय, समस्तीपुर	224	3500	784000
33	बन्दोबस्त कार्यालय, मधुबनी	177	3500	619500
34	बन्दोबस्त कार्यालय, पूर्वी चम्पारण	220	3500	770000
35	बन्दोबस्त कार्यालय, वैशाली	285	3500	997500
36	बन्दोबस्त कार्यालय, मुजफ्फरपुर	309	3500	1081500
37	बन्दोबस्त कार्यालय, गया	496	3500	1736000
38	बन्दोबस्त कार्यालय, भागलपुर	257	3500	899500
कुल योग :-		7057		24699500

(दो करोड़ छियालीस लाख निन्यानवे हजार पाँच सौ) रुपये मात्र



2. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या 12492 दिनांक 15.06.2024 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
3. अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या - 40 एवं विपत्र कोड 40- 2029001020101 अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।
5. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा सकें।
6. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
7. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
8. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
9. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की माँग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
10. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

विश्वासभाजन

6/7/24
(जय सिंह)

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0 (3) योजना- (आवंटन)-01/2024.12769 पटना, दिनांक 17/07/2024

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

17/07/2024

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0 (3) योजना- (आवंटन)-01/2024.12769 पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- संबंधित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक/24

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0 (3) योजना- (आवंटन)-01/2024.12769 पटना, दिनांक :- 17/07/24

प्रतिलिपि :- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक/24

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 02/भू0अ0नि0 (3) योजना- (आवंटन)-01/2024.12769 पटना, दिनांक :- 17/07/24

प्रतिलिपि :- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0 सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण